भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *273

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

गैर-विद्युत-चालित दोपहिया/तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध

***273. श्री तेजस्वी सूर्याः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में गैर- विद्युत-चालित दोपहिया/तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति से देश में प्रदूषण स्तरों को कम करने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है इसके बारे में क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत-चालित वाहनों के नए सेट, जिनके निकट भविष्य में सड़क पर चलने की संभावना है, की बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नई नीति पर आगे बढ़ने से पूर्व ओटोमोबाइल उद्योग की चिंताओं का समाधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'गैर-विद्युत-चालित दोपहिया/तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध' के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 11.07.2019 को पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 273 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): नीति आयोग ने 14 मई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफोर्मेटिव मोबिलिटी ऐंड बैटरी स्टोरेज के संबंध में प्रस्ताव किया है कि 31 मार्च 2023 के बाद तिपहिया वाहनों की श्रेणी के तहत केवल विद्युत चालित तिपहिया वाहनों (केवल लिथियम आयन या अन्य उन्नत बैटरी रसायन के साथ) को बेचा जाएगा और 31 मार्च, 2025 के बाद 150 सीसी से कम दोपहिया वाहनों की श्रेणी के तहत सभी नई बिक्री विद्युत चालित दोपहिया वाहनों (केवल लिथियम आयन या अन्य उन्नत बैटरी रसायन के साथ) की होगी। यह निर्णय भारतीय शहरों को साफ करने और विद्युत वाहनों की ओर तीव्र परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए तथा विद्युत दोपहिया वाहनों एवं विद्युत तिपहिया वाहनों के लिए भारत को विनिर्माण का आधार बनाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने विद्युत वाहनों के नए समूह के लिए बिजली की मांग को पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली की अधिकतम मांग को पूरा किया जाएगा।

कार्यान्वयन की रूपरेखा को हितधारकों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

*****